

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
30प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2017

विषय: कै0 प्रवीण किशोर, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को नई तिथियों में सुपर किंग एयर बी-200 वायुयान के सेमुलेटर पर फर्नवारो, इग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 60/2016/935(2)/छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वायुयान सुपर किंग एयर-बी-200 पर चार पायलटों (कै0 प्रवीण किशोर, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह) को फर्नवारो, इग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट ट्रेनिंग हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेश में टंकण त्रुटि के कारण प्रस्तर-6 "प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि का परीक्षण नियमानुसार करने के उपरान्त यात्रा बीजक का भुगतान अनुदान संख्या-38 के इंगित लेखाशीर्षक के मानक मद 04-यात्रा व्यय से किया जायेगा" अंकित हो गया है। अतएव प्रश्नगत प्रशिक्षण पर होने वाली धनराशि के व्यय का पुस्तांकन वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" से किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या: 61/2016/935/ छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 को संशोधित समझा एवं पढा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 19-8-2016 के शेष प्रतिबन्ध एवं शर्तें पूर्वानुसार लागू रहेंगी।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-62/2017/884(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, ई०एस०-III आडिट भवन, टी०सी०-35-वी-1
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
- 5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 8- सम्बन्धित पायलटगण।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा० सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।